यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहरादून के माह 03.2012 से 08.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.09.2018 से 27.09.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2012 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरक व्यवसायो जैसे विद्युतकर, आईसीटीएसएम, स्विंग टेक्नॉलजी आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे मसूरी क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2012-13	0.00	0.00	39.31	34.90	1.78	1.58	-	4.61
2	2013-14	0.00	0.00	39.80	37.19	5.60	3.85	-	4.36
3	2014-15	0.00	0.00	46.10	45.24	6.68	6.37	-	1.17
4	2015-16	0.00	0.00	48.97	45.28	9.51	8.17	-	5.03
5	2016-17	0.00	0.00	70.03	64.48	9.40	8.62	-	6.31
6	2017-18	0.00	0.00	64.89	62.90	9.02	8.29	-	2.72
7	2018-19	0.00	0.00	57.97	27.64	6.45	2.66	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहरादून

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 08.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहरादून** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2016, 03/2016 एवं 03.2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - दो (अ)

प्रस्तर:-1- संस्थान मे असंचालित योजना की राशि से रु 116.85 लाख का अपव्यय का प्रकरण पाया जाना।
कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, देहरादून की अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि पीपीपी मोड योजना के अंतर्गत गठित Institutional Management Committee (आईएमसी)को वित्तीय अधिकार प्रदत्त करते हुये आईटीआई मसूरी का चयन उच्चीकरण हेतु किया गया, जिसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08 मे भारत सरकार द्वारा 100% फांडिंग राशि के रूप मे रु 2.50 करोड़ ब्याज रहित ऋण संस्थान को अवमुक्त किया गया।

I. जांच मे पाया गया कि आईटीआई मसूरी का चयन के समय संस्थान का अपना भवन मौजूद नही था तथा संस्थान का वर्तमान तक संचालन अस्वामित्व प्राप्त भवन (not owned building) मे हो रहा था। डीजीईटी भारत सरकार द्वारा जारी आदेश स॰ DGET-35(1396) उत्तराखण्ड/2009-NIC, दिनांक 27.11.09 के अनुक्रम मे सिविल निर्माण कार्य उन संस्थानो मे अनुमन्य नही था जिसका अपना भवन न हो, फिर भी दिशानिर्देशन का उल्लंघन कर संस्थान द्वारा वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-11 के मध्य लागत रु 70.04 लाख का निर्माण कार्य योजना की राशि से निष्पादित कराया गया। इस संबंध मे भारत सरकार द्वारा दी गयी शिथिलता विषयक कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मे नही पाया गया। जांच मे प्रकरण प्रकाश में आया कि सिविल कार्य के अंतर्गत कराये गए मरम्मत एवं पुननिर्माण मे घोर उदासिनता बरतते हुये वित्तीय नियमो का व्यापक उल्लंघन किया गया तथा कार्य का निष्पादन स्थानीय साप्ताहिक अखबार मे विज्ञापन के द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से कराया गया। इस संबंध मे पूर्व से भारत सरकार द्वारा नियमतः अनुमति प्राप्त करने का साक्ष्य अनुपलब्ध पाया गया। योजना संचालन के लिए आईएमसी का अस्तित्व मे होना अनिवार्य था, परंतु वर्ष 2011 से लेखापरीक्षा अवधि तक ऐसी कोई समिति कार्यरत नही पायी गयी तथा प्राइवेट पार्टनर का चयन उक्त अवधि तक प्रतीक्षित पाया गया।

II. संस्थान मे व्यवसायो के उच्चीकरण हेतु तैयार आईडीपी के अनुसार आगामी 5 वर्षो मे, 5 नए व्यवसायो उच्चिकृत हेतु आईएमसी समिति द्वारा संचालित किए जाने का प्रावधान था। जिस हेतु रु 46.00 लाख की धनराशि उपकरणो एवं टूल्स के क्रय किए जाने हेतु व्यय किया जाना था। जांच मे पाया गया की संबन्धित संस्थान मे उच्चीकरण हेतु स्थान पर्याप्त मौजूद नही था एवं उक्त नए व्यवसायो के संचालन हेतू अन्य भवन के निर्माण कार्य अर्थात 1900 sq mtr स्थान की आवश्यकता थी, चूंकि संस्थान के पास अपना भवन नही था एवं गाइड लाइंस के अनुसार किराए के भवनो मे निर्माण कार्य निष्पादित किया जाना अनुमन्य नही था, व्यवसायो के संचालन हेतु स्थान/भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद धनराशि रु 46.81 लाख के उपकरणो एवं मशीनों का क्रय वर्ष 2009-10 के दौरान 3 नए व्यवसायो हेतु फिटर, hospitality एवं front office assistance हेतु बिना समिति के स्वीकृति के किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

Sl.No.	Trade	Firm/Supplier's name	Date of Purchase	Amount
1.	Fitter (CNC Machine)	Sinewave Engineering Pvt. Ltd.	12/2009	872500/-
2.	Fitter	Doon Trading	08/2009	857000/-
3.	Kitchen Hospitality	Vivek Enterprises	11/2009	1220896/-
4.	Kitchen Hospitality	Doon Kitchen Equipment	09/2009	570000/-
5.	Kitchen Hospitality	Doon Kitchen Equipment	06/2010	97000/-
6.	Front Office Assistance	M/s Strategic Marketing	05/2010	999933/-
7.	Front Office Assistance	M/s Strategic Marketing	05/2010	64000/-

संबन्धित उपकरणो एवं टूल्स के क्रय प्रक्रिया मे गंभीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी जैसे निविदाओ का साप्ताहिक अखबार श्रमिक दर्पण मे विज्ञापन दिया जाना, उपकरणो एवं मशीनों का क्रय कोटेशन के द्वारा किया जाना एवं क्रय हेतु समिति की स्वीकृति नही लेना आदि। भूमि की अनुपलब्धता के कारण संबन्धित उपकरण एवं टूल्स क्रय किए जाने की तिथि से 10 वर्षो के उपरान्त भी उपयोग मे नही लाया जा सका एवं संबन्धित प्रयोजन की पूर्ति नही हुई। आईएमसी समिति से औद्योगिक पार्टनर को नवम्बर 2010 से राज्य सरकार द्वारा पृथक किए जाने एवं वर्तमान तक कोई भी औद्योगिक पार्टनर का चयन संस्थान /समिति हेतु नही किए जाने के कारण अर्थात आईएमसी समिति अप्रभावी होने के कारण उपरोक्त उपकरणो एवं टूल्स की भविष्य मे संचालन की संभावनाये शून्य पायी गयी।

उक्त प्रकरणो के संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि

I. पूर्व के औद्योगिक पार्टनर एवं सदस्य/सचिव के द्वारा योजना अंतर्गत की गयी अनियमितता के कारण तत्कालीन सदस्य सचिव को निलंबित करते हुये उनके विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज कराई गयी है साथ ही औद्योगिक पार्टनर के उत्तराखण्ड शासन दिनांक 26 नवम्बर 2010 द्वारा पृथक किया गया। भूमि भवन को संस्थान के नाम स्थानांतरित किए जाने के संबंध मे निदेशालय से अनुरोध किया गया है निदेशालय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है एवं 26 नवम्बर 2010 से औद्योगिक पार्टनर का चयन न होने के कारण योजनांतरगत समस्त कार्यवाही लंबित है।

II. सस्थान स्तर से काफी प्रयासो के बावजूद भी स्वयं की भूमि नही मिल पायी वर्तमान मे निदेशालय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है चूंकि क्रय की गयी साज सज्जा आईएमसी की संपत्ति है अतः आईएमसी की संपत्ति के संबंध मे कोई भी निर्णय आईएमसी द्वारा ही ले सकती है परंतु नवम्बर 2010 से औद्योगिक पार्टनर नियुक्त न होने के कारण आईएमसी निष्क्रिय है।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया, पीपीपी मोड की शत प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी, अतः गठित स्वतंत्र समिति से आवधिक रिपोर्ट सुनिश्चित करने संबधि तंत्र विकसित न करना विभाग की बढ़ी भूल थी वर्ष 2008-09 से अपव्यय का क्रम जारी रहा तथा वर्ष 2010-11 तक चलता रहा। परंतु विभाग बेखबर होने के कारण समय से अपव्यय को रोकने मे विफल रही तथा कार्यवाही करने मे संभवतः 02 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। फलतः अस्वामित्व प्राप्त भूमि पर रु 70.04 लाख का सिविल कार्य करना एवं भूमि/स्थान सुनिश्चित किए बिना रु 46.81 लाख के उपकरणो एवं मशीनों पर व्यय कर शासकीय संपत्ति का ह्रास किया गया।

अतः प्रकरण शसान के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
---------- प्रथम लेखापरीक्षा है----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
---------- प्रथम लेखापरीक्षा है----------						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री मनमोहन कुडीयाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ मसूरी, देहरादून	03/2012 से माह 07.2017 तक
श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ मसूरी, देहरादून	माह 08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.